No. Home-C(E)3-3/2016-Bill
Government of Himachal Pradesh
Home Department.

To

The Secretary,
Himachal Pradesh Vidhan Sabha,
Shimla-171003

Dated:Shimla-2,the 6th April,2016

Subject: Notice of introduction of the Bill to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety & Convenience) Act, 2007.

Sir,

I intend to give notice of my intention to introduce the Bill to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety & Convenience) Act, 2007 in the ensuing Session of the State Legislative Assembly, for consideration, discussion and passing of the same.

You are, therefore, requested to present this matter to the Hon'ble Speaker for appropriate orders to condone the mandatory period prescribed in rules, if any in this behalf being very urgent matter and include it in the business of the House on an appropriate day. Three duly authenticated copies of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety & Convenience) Act, 2007 are enclosed, as required under the rules.

Yours faithfully,

(Virbhadra Singh)
Chief Minister, H.P.

No. As above Dated: Shimla-2, the 6th April, 2016.

Copy to the LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh.

Received 150 copies

Under Secretary (Home) to the
Government of Himachal Pradesh

2016 का विधेयक संख्यांक 8

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 3 का संशोधन।
4. धारा 6 का संशोधन।
5. धारा 8 का संशोधन।

2016 का विधेयक संख्यांक 8

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2016 है। संक्षिप्त नाम।

2. शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में ''कोर (मध्य) माल रोड़ से'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात् ''राज्य सरकार द्वारा मेट्रोपोल के सामने अनुज्ञात पार्किंग स्थल के रूप में अधिसूचित क्षेत्र को अपवर्जित करके'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में,— धारा 3 का संशोधन।

(क) खण्ड (iii) में, ''और हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के उपाध्यक्ष के साथ सम्बद्ध सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यान'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर '',हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के उपाध्यक्ष के साथ सम्बद्ध सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यान और हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के यान'' चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे। ;

(ख) खण्ड (iii) में, ''हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के सदस्यों,'' शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा। ; और

(ग) खण्ड (iii) में प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा का वह सदस्य, जो मेट्रोपोल में रह रहा है और जिसे उसके यान को मेट्रोपोल तक चलाए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मेट्रोपोल के सामने अनुज्ञात पार्किंग स्थल में अपने यान को पार्क कर सकेगा :

परन्तु यह और कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष और विधान सभा के सदस्यों को कोर (मध्य) माल रोड़ के भाग शिमला क्लब से इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर तक उनके यान का चलाया जाना अनुज्ञात किया जा सकेगा :''।

धारा 6 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में, '',विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात् '' और हिमाचल प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों'' शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) में ''तीन हजार'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिमला माल रोड़ की पहचान को वापस लौटाने के लिए, आम रास्ते के रूप में इसका उपयोग रोकने के आशय से तथा शिमला नगर की सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में यातायात का विनियमन करने के लिए शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया था। उपायुक्त, शिमला से मेट्रोपोल में रह रहे हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के लिए मेट्रोपोल के सामने पार्किंग स्थल चिन्हित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उपायुक्त, शिमला ने यह निवेदित किया है कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने विधान सभा के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की और उक्त बैठक में माननीय विधान सभा के सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि मेट्रोपोल में रहते हुए, मेट्रोपोल के सामने कोई पार्किंग स्थल न होने के कारण, उन्हें अत्यन्त कठिनाई हो रही है और यह अनुरोध किया है कि उन्हें मेट्रोपोल के सामने उनके यानों (वाहनों) को पार्क करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए। प्रस्ताव का परीक्षण किया गया और माननीय सदस्यों की मांग को उचित समझा गया। अतः पूर्वोक्त अधिनियम में ऐसा उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया जो उन्हें मेट्रोपोल के सामने अधिसूचित पार्किंग स्थल पर उनके यानों (वाहनों) को पार्क करने के लिए समर्थ बनाए। इसके अतिरिक्त, कुछ उच्च पदस्थों को उनके यान (वाहन) को इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर तक चलाया जाना अनुज्ञात करना और विधान सभा के सदस्यों की बाबत सील्ड सड़कों के लिए अनुज्ञा–पत्र की सीलिंग को भी हटाने तथा भूतपूर्व विधान सभा के सदस्यों के मामले में अनुज्ञा–पत्र जारी करने हेतु सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सशक्त करना भी न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझा गया है। इसके अतिरिक्त, सील्ड सड़क या कोर (मध्य) माल रोड़ के भाग पर फिल्म की शूटिंग के लिए अनुज्ञात किए गए यानों (वाहनों) की दैनिक फीस की रकम को तीन हजार रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर दस हजार रुपए प्रतिदिन किया जाना भी आवश्यक समझा गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक समझे गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख : ...., 2016

————————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

(डॉ0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख :.............................., 2016

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं :

2. **परिभाषाएं.**—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) XXX XXX XXX

(ख) ''कोर (मध्य) माल रोड़'' से शिमला क्लब से केन्द्रीय तारघर कार्यालय और रिज तक माल रोड़ का भाग अभिप्रेत है;

(ग) से (ब) XXX XXX XXX

(2) उन समस्त शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. **सीील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर यानों के उपयोग (चलाए जाने) पर निर्बन्धन.**—(1) अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट सभी सील्ड सड़कें, निम्नलिखित यानों के सिवाय, समस्त मोटर यातायात के लिए बन्द होंगी, अर्थात्:—

(i) भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप—राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री के साथ सम्बद्ध शासकीय और सुरक्षा यान :

परन्तु लोकोपयोगी यानों से भिन्न तथा भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप—राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री के यानों और उनके साथ चलने वाले सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यानों के सिवाय कोर (मध्य) माल रोड़ पर किसी भी यान का चलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप—राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री और उनके

साथ चलने वाले सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यानों को कोर (मध्य) माल रोड़ और समस्त सील्ड सड़कों पर चलाने के लिए कोई पास अपेक्षित नहीं होगा;

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के भूतपूर्व मुख्य मन्त्रियों, हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों/संसदीय सचिवों, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के उपाध्यक्ष के साथ सम्बद्ध सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यान;

(iii) हिमाचल प्रदेश से संसद सदस्यों, हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के सदस्यों, हिमाचल प्रदेश के कानूनी निकायों के पूर्णकालिक अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश और थल सेना प्रशिक्षण कमाँड शिमला के जनरल ऑफिसर कमाँडिंग–इन–चीफ को तीन सील्ड सड़कों के लिए :

परन्तु हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य, जो मेट्रोपोल में रह रहा है, को अपना यान कोर (मध्य) माल रोड़ के भाग, शिमला क्लब से मेट्रोपोल, तक चलाया जाना अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यह और कि संसद सदस्य (शिमला निर्वाचन क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य (शिमला निर्वाचन क्षेत्र) और नगर निगम शिमला के महापौर को समस्त सील्ड सड़कों पर यान चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(iv) लोकोपयोगी यान, जिन्हें राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा लोकहित में आवश्यक समझा जाए;

(v) अन्य यान, जिन्हें राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा लोक हित या कार्यात्मक अपेक्षा के आधार पर आवश्यक समझा जाए, निवास के लिए पहुंचने के मामले में एक सील्ड सड़क के लिए, यदि वहां पर गराज या पार्किंग की सुविधा है; और

(vi) इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी विधिमान्य अस्थायी पास धारक यान :

परन्तु यह और कि सचिव (गृह) समय–समय पर लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में, किसी सील्ड सड़क को यातायात के क्रास संचलन (क्रास मूवमैंट) में बाधा न होने देने के लिए यान की अधिकतम चौड़ाई (व्हील बेस) पर प्रतिबन्ध अधिरोपित कर सकेगा।

(2) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट समस्त प्रतिबन्धित सड़कें, सिवाय निम्नलिखित के, सभी प्रकार के यानीय यातायात के लिए बन्द होंगी, अर्थात्:–

(i) भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप–राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री के साथ सम्बद्ध सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यान :

परन्तु भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप–राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री और उनके साथ चलने वाले सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यानों को, समस्त प्रतिबन्धित सड़कों पर चलाने के लिए कोई पास अपेक्षित नही होगा;

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के भूतपूर्व मुख्य मन्त्रियों, हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों/संसदीय सचिवों, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के उपाध्यक्ष के साथ सम्बद्ध सरकारी (शासकीय) और सुरक्षा यान;

(iii) हिमाचल प्रदेश से संसद सदस्यों, हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के सदस्यों, हिमाचल प्रदेश के कानूनी निकायों के पूर्णकालिक अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश और थल सेना प्रशिक्षण कमाँड शिमला के जनरल ऑफिसर कमाँडिंग–इन–चीफ को चार प्रतिबन्धित सड़कों के लिए :

परन्तु संसद सदस्य (शिमला निर्वाचन क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य (शिमला निर्वाचन क्षेत्र) और नगर निगम शिमला के महापौर को समस्त प्रतिबन्धित सड़कों पर यान चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(iv) लोकोपयोगी यान, जिन्हें राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा लोकहित में आवश्यक समझा जाए;

(v) अन्य यान, जिन्हें उपायुक्त द्वारा लोकहित या कार्यात्मक अपेक्षा के आधार पर आवश्यक समझा जाए, निवास के लिए पहुंचने के मामले में तीन प्रतिबन्धित सड़कों के लिए, यदि वहां पर गराज या पार्किंग की सुविधा है :

परन्तु उन मामलों में जहां सील्ड और प्रतिबन्धित दोनों सड़कों के लिए पास अपेक्षित है, केवल गृह विभाग को उसे जारी करने की शक्तियां होंगी;

(vi) राज्य सरकार की प्रत्यायन समिति द्वारा प्रत्यायित राज्य स्तरीय प्रैस संवाददाता के स्वामित्व वाला एक यान, ऐसी तीन से अनधिक सड़कों के लिए;

(vii) अभिहित पार्किंग स्थलों या समादत्त पार्किंग लॉटों (पेड पार्किंग लाट्स) से मेहमानों को लाने, ले जाने के लिए उस होटल या अन्य बोर्डिंग स्थान की बाबत, जो किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है, दो यानों तक; परन्तु यान, होटल या बोर्डिंग स्थान के स्वामित्वाधीन हों या उसके द्वारा कम से कम तीन मास की अवधि के लिए पट्टे पर लिए गए हों;

(viii) अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी विधिमान्य अस्थायी पास धारक यान; और

(ix) अधिनियम की धारा 9 के अधीन जारी विधिमान्य पर्यटक पास धारक यान।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार का सचिव (गृह) यातायात के आवागमन (क्वाण्टम) और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट प्रतिबन्धित सड़क पर चलाने के लिए यानों की अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा ताकि पैदल चलने वालों को खतरा, असुविधा या क्षोभ कारित न हो।

6. सील्ड सड़कों के लिए पास प्रदान करने और नवीकरण करने हेतु आवेदन तथा प्रक्रिया.—(1) सील्ड सड़क पर यान चलाने के लिए पास को प्रदान करने हेतु आवेदन, ऐसे प्रारूप में किया जाऐगा जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, और राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा :

परन्तु हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों की दशा में सील्ड सड़क पर यान को चलाने के लिए पास प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए आवेदन,सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा, जो पास को प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए सक्षम होगाः

परन्तु यह और है कि हिमाचल प्रदेश से संसद सदस्यों की दशा में, सील्ड सड़क पर यान को चलाने के लिए पास प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु आवेदन, उनके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, गृह विभाग को किया जाऐगा :

परन्तु यह और भी कि नगर निगम शिमला के महापौर, उप–महापौर या पार्षदों की दशा में, सील्ड सड़क पर यान को चलाने के लिए पास को प्रदान करने या नवीकृत करने हेतु आवेदन, नगर निगम शिमला के आयुक्त को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा जो उसे गृह विभाग को अग्रेषित करेगा।

(2) सील्ड सड़क पर यान चलाने हेतु पास के मामले की प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) के लिए प्राइवेट यानों की दशा में एक सौ रूपए की अप्रतिदेय फीस प्रभारित की जाएगी।

(3) प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु दो हजार पांच सौ रूपए फीस प्रति वर्ष, प्रति सड़क प्रभारित की जाएगी :

परन्तु उपधारा (2) और (3) के प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के नाम पर रजिस्ट्रकृत एक प्राइवेट यान को सरकारी (शासकीय) यान समझा जाएगा, यदि ऐसे सदस्य के पास कोई सरकारी (शासकीय) यान नहीं है।

(4) सील्ड सड़क पर यान चलाने के लिए पास का, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर, यथास्थिति, गृह विभाग द्वारा या सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा प्रतिवर्ष नवीकरण किया जा सकेगा और यदि आवेदक इसकी विधिमान्य अवधि के अवसान से पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है तो पास व्यपगत समझा जाएगाः

परन्तु यदि आवेदक साबित कर देता है कि उसके पास नवीकरण के लिए समय पर आवेदन करने के प्राप्त कारण थे तो पास उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर, दो सौ रूपए प्रति मास विलम्ब फीस या उसके भाग सहित, नवीकृत किया जा सकेगा।

(5) सरकारी यान के लिए पास प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात्ः–

(क) यथास्थिति, राज्य सरकार के सचिव (सामन्य प्रशासन विभाग) या कार्यालय अध्यक्ष से सरकारी (शासकीय) यान या लोकोपयोगी यान को अभिनियोजित करने का प्रमाण पत्र ;

(ख) आवेदक द्वारा इस प्रभाव का स्वतः प्रमाणन (जहां लागू हो) कि उसका कार्यालय/निवास सील्ड सड़क पर है और व किसी प्रतिबन्धित या किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है।

(ग) नए आवेदन की दशा में प्रक्रिया फीस के संदाय का सबूत और पास के नवीकरण की दशा में पूर्व पास की एक फोटो प्रति ;

(घ) सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' की बाबत विधिमान्य प्रामाण पत्र की प्रति ; और

(ङ) ऐसे अन्य दस्तावेज, जो अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट किए जाएं :

'परन्तु राज्य सरकार के सरकारी (शासकीय) यानों की बाबत आवेदन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा ; उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के मामलों में रजिस्ट्रार जनरल या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी आवेदन करेगा :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, स्वायत् निकायों, कानूनी बोर्डों/निगमों के सरकारी (शासकीय) यानों की बाबत आवेदन, उनके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।'';

(6) प्राइवेट यान के लिए पास को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात्:–

(क) सबूत के तौर पर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति कि आवेदक यान का स्वामी है ;

(ख) सील्ड सड़क पर आवेदक के आवास या कार्यालय की बाबत स्वतः प्रमाणित सबूत (जहां लागू हो) ;

(ग) उपायुक्त शिमला के कार्यालय के सम्यक रूप से प्राधिकृत, अधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि सील्ड सड़क पर आवास किसी भी प्रतिबन्धित सड़क या किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है और आवेदक का अपना गराज है और पार्किंग की उसके पास सुविधा है;

(घ) नए आवेदन की दशा में प्रक्रिया फीस के संदाय का सबूत और पास के नवीकरण की दशा में पूर्व पास की एक फोटोप्रति;

(ङ) सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' की बाबत विधिमान्य प्रमाण पत्र की प्रति; और

(च) ऐसे अन्य दस्तावेज जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(7) सभी आवेदन इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन अभिस्वीकृत किए जाएंगे, रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और प्रक्रिया में लाए जाएंगे।

(8) सील्ड सड़क के लिए पास, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर ऐसे अधिकारी, यथास्थिति, जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो या सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा के हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन, ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जारी किया जाएगा और पास का ऐसा सुभिन्न रंग और आकार होगा, जैसा गृह विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए तथा पास को यान की विण्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा :

परन्तु यदि पास एक से अधिक सील्ड सड़क की बाबत जारी किया गया है, तो समेकित पास ऐसे प्ररूप में जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (3) में यथा उपबंधित फीस के संदाय पर जारी किया जा सकेगा।

8. कतिपय परिस्थितियों में अस्थायी पास प्रदान करना.–(1) सील्ड सड़क के लिए अस्थाई पास ऐसी शर्तों पर, जो पास में विनिर्दिष्ट की जाएं सरकारी समारोहों (आफिशियल फंक्शन्ज) के लिए उपलब्ध करवाए गए सरकारी (शासकीय) यानों को केवल ऐसे स्थल, जो ऐसी सील्ड सड़क से ही सुगम्य हो और ऐसा स्थल, यथास्थिति, प्रतिबन्धित सड़क या किसी अन्य सड़क से सुगम्य न हो, लोकहित में जारी किया जाएगा।

(2) अस्थायी पास, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो पास में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे लोकोपयोगी यान को भी जारी किया जा सकेगा जिसका ऐसी सील्ड सड़कों पर चलाया जाना लोकहित में है।

(3) सील्ड सड़क के लिए अस्थायी पास का आवेदन, दो सौ रुपए प्रतिदिन प्रतियान की फीस के संदाय पर, सात दिन की अधिकतम अवधि के लिए, यथास्थिति, राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह)

या सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, कम से कम दो दिन अग्रिम में, समर्थक दस्तावेजों के साथ किया जाएगा और पास ऐसे प्ररूप में, जैसा समय–समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी अधिकारी, जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो, के हस्ताक्षरों और मुहर (मुद्रा) के अधीन जारी किया जाएगा; और उक्त पास का ऐसा सुभिन्न रंग और आकार होगा, जैसा गृह विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए; और उसे यान की विण्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा :

परन्तु यदि पास एक से अधिक सील्ड सड़क के लिए जारी किया गया है, तो एक समेकित पास, ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, धारा 6 की उपधारा (3) में यथा उपबंधित फीस के संदाय पर जारी किया जाएगा।

(4) प्रतिबन्धित सड़क के लिए अस्थायी पास, उपायुक्त, शिमला को किए गए आवेदन पर, ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उसके समर्थन में दिए गए कारणों सहित, प्रतिदिन सौ रुपए की फीस के संदाय पर, सात दिन की अधिकतम अवधि के लिए इस शर्त के अध्यधीन कि यान को चलाए जाने से पैदल चलने वालों को कोई खतरा या क्षोभ कारित होने की संभावना न हो; और उक्त पास का ऐसा सुभिन्न रंग और आकार होगा जैसा गृह विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए और उसे यान की विण्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा :

परन्तु यदि पास एक से अधिक प्रतिबन्धित सड़क के लिए जारी किया गया है, तो समेकित पास ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (3) में यथा उपबंधित फीस के संदाय पर जारी किया जाएगा।

(5) फिल्मों के फिल्मांकन (शूटिंग) के प्रयोजनार्थ या किसी वाणिज्यिक मनोरंजन के प्रयोजनार्थ सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों के लिए अस्थायी पास राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा अधिकतम दस यानों तक प्रतिदिन, प्रति प्राइवेट यान ''तीन हजार'' रुपए की फीस के संदाय पर, सात दिन की अधिकतम अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे :

परन्तु पैदल चलने वालों को किसी खतरे या क्षोभ से निवारित करने के लिए, पास को जारी करते समय इसकी विधिमान्यता के घण्टों और पार्किंग निर्बन्धनों के सम्बन्ध में शर्तें अधिरोपित की जा सकेंगी।

(6) इस धारा के अधीन अस्थाई पासों को जारी करने के लिए आवेदन, सम्बद्ध विभाग के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 8 OF 2016

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 3.
4. Amendment of section 6.
5. Amendment of section 8.

Bill No. 8 of 2016

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (Act No.2 of 2008).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Amendment Act, 2016.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), in clause (b), after the words "and Ridge", the words "excluding area notified by the State Government as permitted parking place in front of the Metropole" shall be inserted.

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1),-

(a) in clause (ii), for the words "and Deputy Speaker of Himachal Pradesh State Legislative Assembly", the sign and words " , Deputy Speaker of Himachal Pradesh Legislative Assembly and vehicle of Members of Legislative Assembly of Himachal Pradesh" shall be substituted.;

(b) in clause (iii), the words and sign " Members of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly," shall be omitted. ; and

(c) in clause (iii), after the first proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided further that a Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh who is residing in Metropole and permitted to ply his vehicle upto Metropole may park his vehicle in the permitted parking place in front of Metropole:

Provided further that the Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, former Chief Minister of Himachal Pradesh, Ministers of Himachal Pradesh, Judges of Himachal Pradesh High Court, former Speaker of Himachal Pradesh Legislative Assembly and Members of Legislative Assembly may be permitted to ply their vehicle on portion of Core Mall Road from Shimla Club to Indira Gandhi State Sports Complex:".

Amendment of section 6.

4. In section 6 of the principal Act, in sub-section (1), in the first proviso, after the words "Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly", the words, and sign "and Ex-Members of Legislative Assembly of Himachal Pradesh" shall be inserted.

Amendment of section 8.

5 . In section 8 of the principal Act, in sub-section (5), for the figures "3000", the figures and sign "10,000" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to restore the sanctity of Shimla Mall Road by preventing its use as a throughfare and to regulate traffic in the interest of public safety and convenience on sealed and restricted roads of Shimla Town, the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act,2007 was enacted. A proposal was received from the Deputy Commissioner, Shimla to earmark parking place in front of Metropole for Members of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh who are residing in Metropole. The Deputy Commissioner, Shimla has submitted that a meeting was convened by the Hon'ble Speaker, Legislative Assembly with the Members of Legislative Assembly and in the said meeting it was pointed out by the Hon'ble Members that there is great hardship to them being resident of Metropole as there is no parking place for them in front of the Metropole and have requested that they may be permitted to park their vehicles in front of the Metropole. The proposal has been examined and the demand of the Hon'ble Members is considered genuine. Thus, it has been decided to make a provision in the Act ibid which may enable them to park their vehicles in front of Metropole at the notified parking place. Further, it has also been considered just and reasonable to permit some dignitaries to ply their vehicles upto Indira Gandhi State Sports Complex and also to remove sealing of permit for sealed roads in respect of Members of Legislative Assembly and to empower the Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha to issue permits in case of Ex-MLA's. Further, it is also considered necessary to enhance the amount of daily fee of vehicles permitted for film shooting on portion of Sealed Road or Core Mall Road from 3000/- per day to Rs.10,000/- per day. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

SHIMLA:
The ——————, 2016.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil——

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLASTION

——Nil——

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act,2007 (Act No 2 of 2008).

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

(**DR. BALDEV SINGH**)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA.
The-----------------------, 2016.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) ACT, 2007 (ACT NO. 2 OF 2008) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

SECTIONS:

2. Definitions.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) XXX XXX XXX

(b) 'Core Mall Road' means the portion of the Mall Road from Shimla Club to Central Telegraph Office and Ridge;

(c) to (w) XXX XXX XXX

(2) All other words and expressions used, but not defined in this Act and defined in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), shall have the same meaning respectively assigned to them in that Act.

3. Restrictions on the use of vehicles on sealed and restricted roads.— (1) All sealed roads specified in Schedule-I shall be sealed to all motorized traffic, except the following vehicles, namely:—

(i) official and security vehicles attached with the President of India, the Vice-President of India, the Prime Minister of India, the Governor of Himachal Pradesh and the Chief Minister of Himachal Pradesh:

Provided that no vehicle other than public utility vehicle shall be permitted to ply on the Core Mall Road, except vehicles of the President of India, the Vice-President of India, the Prime Minister of India, the Governor of Himachal Pradesh, the Chief Minister of Himachal Pradesh and their accompanying official and security vehicles:

Provided further that vehicles of the President of India, the Vice President of India, the Prime Minister of India, the Governor of Himachal Pradesh, the Chief Minister of Himachal Pradesh and their accompanying official and security vehicles shall require no pass for plying on Core Mall Road and all sealed roads;

(ii) official and security vehicles attached with the Speaker of Himachal Pradesh State Legislative Assembly, Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, Former Chief Ministers of the State, Ministers of Himachal Pradesh, Chief Parliamentary Secretaries/Parliamentary Secretaries, Judges of Himachal Pradesh High Court and Deputy Speaker of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly;

(iii) Members Parliament from Himachal Pradesh, Members of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly, full time Chairmen and full time Members of Statutory Bodies of Himachal Pradesh, Chief Secretary to the State Government, the Advocate General of Himachal Pradesh, Director General of Police, Himachal Pradesh and General Officer Commanding-in-Chief, Army Training Command, Shimla for upto 3 sealed roads:

Provided that a Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh who is residing in Metropole shall be permitted to ply his vehicle on portion of Core Mall Road from Shimla Club to Meteropole :

Provided further that Member of Parliament (Shimla Constituency) Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh (Shimla Constituency) and Mayor, Municipal Corporation, Shimla shall be permitted to ply vehicles on all sealed roads;

(iv) public utility vehicles as deemed necessary in the public interest by the Secretary (Home) to the State Government;

(v) other vehicles, as deemed necessary in the public interest or on the grounds of functional requirement by the Secretary (Home) to the State Government, for upto one sealed road, provided in case for approaching residence there is garage or parking facility; and

(vi) vehicles holding a valid temporary pass issued under section 8 of this Act:

Provided further that the Secretary (Home) may, from time to time, impose restrictions on the maximum width (wheel base) of a vehicle for any sealed road in the interest of public safety and convenience so as to prevent hindrance to cross movement of traffic.

(2) All restricted roads specified in Schedule-II shall be closed to all motorized traffic, except the following vehicles, namely:—

(i) official and security vehicles attached with the President of India, the Vice-President of India, the Prime Minister of India, the Governor of Himachal Pradesh and the Chief Minister of Himachal Pradesh:

Provided that vehicles of President of India, Vice President of India, Prime Minister of India, Governor of Himachal Pradesh and Chief Minister of Himachal Pradesh and their accompanying official and security vehicles shall require no pass for plying on all restricted roads;

(ii) official and security vehicles attached with the Speaker of Himachal Pradesh State Legislative Assembly, Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, Former Chief Ministers of the State, Ministers of Himachal Pradesh, Chief Parliamentary Secretaries/Parliamentary Secretaries, Judges of Himachal Pradesh High Court and Deputy Speaker of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly;

(iii) Members of Parliament from Himachal Pradesh, Members of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly, full time Chairmen and full time Members of Statutory Bodies of Himachal Pradesh, Chief Secretary to the State Government, Director General of Police, Himachal Pradesh and General Officer Commanding-in-Chief, Army Training Command, Shimla for upto 4 restricted roads:

Provided that Member of Parliament (Shimla Constituency), Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh (Shimla Constituency) and Mayor, Municipal Corporation, Shimla shall be permitted to ply vehicles on all restricted roads;

(iv) public utility vehicles as deemed necessary in the public interest by the Secretary (Home) to the State Government;

(v) other vehicles, as deemed necessary in the public interest or on the grounds of functional requirement by the Deputy Commissioner, for upto three restricted roads, provided in case for approaching residence there is garage or parking facility:

Provided that in cases where pass is required both for sealed and restricted roads, only Home Department shall have the powers to issue the same;

(vi) one private vehicle owned by a State Level Press Correspondent accredited by the Accreditation Committee of the State Government, for not more than three such roads;

(vii) upto two vehicles in respect of a hotel or other boarding place, not approachable from any other road, in order to carry guests from designated parking places or paid parking lots; provided that the vehicle is owned or leased by the hotel or boarding place for a period of not less than three months;

(viii) Vehicles holding a valid temporary pass issued under section 8 of the Act; and

(ix) Vehicles holding a valid tourist pass issued under section 9 of the Act.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, the Secretary (Home) to the State Government, may specify the maximum number of vehicles that may be allowed to ply on a particular restricted road keeping in view the quantum of traffic and nature of road, so as not to cause danger, inconvenience or annoyance to the pedestrians:

6. Application for grant and renewal of a pass for sealed road and procedure.-(1) Application for grant of a pass for driving a vehicle on a sealed road shall be made in such form as may be specified by notification, and shall be addressed to the Under Secretary (Home) to the State Government:

Provided that in the case of Speaker, Deputy Speaker or Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, an application for grant or renewal of a pass for plying of a vehicle on a sealed road shall be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, who shall be competent to grant or renew the pass:

Provided further that in the case of the Members of Parliament from Himachal Pradesh, the application for grant or renewal of a pass for plying a vehicle on a sealed road shall be made to the Home Department by a person duly authorized by them:

Provided further that in the case of the Mayor, the Deputy Mayor or the Councillors, Municipal Corporation, Shimla, the application for grant or renewal of a pass for plying a vehicle on a sealed road shall be addressed to the Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, who shall forward the same to the Home Department.

(2) A non-refundable fee of Rs.100/- for private vehicles shall be charged for processing of a case for a pass for plying of a vehicle on a sealed road.

(3) A fee of Rs.2500/- shall be charged for grant of a pass for a private vehicle per road, per annum:

Provided that one private vehicle registered in the name of the Member of Himachal Pradesh Legislative Assembly shall be deemed to be official vehicle for the purpose of sub-sections (2) and (3), in case such Member has no official vehicle.

(4) The pass for driving a vehicle on a sealed road may be renewed annually by the Home Department or by the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, as the case may be, on payment of a fee as provided in sub-section (3) and in case the applicant does not make an application for renewal before the expiry of its validity period, the pass shall stand lapsed:

Provided that if the applicant proves that there were sufficient reasons for not making an application for renewal in time, the pass may be renewed on payment of fee as provided in sub-section (3) alongwith late fee of Rs. 200 per month or part thereof.

(5) The application for grant or renewal of a pass for an official vehicle shall be accompanied by the following documents, namely:—

(a) A certificate of deployment of a official vehicle or public utility vehicle from the Secretary (General Administration Department) to the State Government or the Head of the office, as the case may be;

(b) Self certification (where applicable) by the applicant to the effect that the office/ residence is on a sealed road and is not approachable from any of the restricted or any other roads;

(c) Proof of payment of the processing fee in case of a new application and a photocopy of the previous pass in case of renewal of a pass;

(d) Copy of a valid 'Pollution under Control' Certificate issued by the concerned authority; and

(e) Such other documents as may be specified, by notification:

Provided that in respect of official vehicles of the State Government, the application shall be made by an authorized officer of the General Administration Department, except in cases of Judges of the High Court of Himachal Pradesh in respect of which the Registrar General or an officer authorized in this behalf, shall make an application:

Provided further that in respect of official vehicles of the Central Government, Autonomous Bodies, Statutory Boards or Corporations, the application shall be made by their authorized officer.

(6) The application for grant or renewal of a pass for a private vehicle shall be accompanied by the following documents, namely:—

(a) Attested photocopy of the Registration Certificate of the vehicle in proof that the applicant is the owner of the vehicle;

(b) Self certified proof (where applicable) of residence or office of the applicant on the sealed road;

(c) Certificate (where applicable) from the duly authorized officer of the office of the Deputy Commissioner, Shimla to the effect that the residence on the sealed road is not approachable from any other road and that the applicant has his own garage or has a parking facility;

(d) Proof of payment of processing fee in case of a new application, and a photocopy of the previous pass in case of renewal of a pass;

(e) Copy of a valid 'Pollution under Control' Certificate issued by the concerned authority; and

(f) Such other documents as may be specified, by notification.

(7) All applications shall be acknowledged, registered and processed under the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(8) A pass for a sealed road shall be issued, in such form as may be specified by notification, under the signatures and seal of an officer not below the rank of Under Secretary (Home) to the State Government or the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, as the case may be, on payment of fee as provided in sub-section (3) and the pass shall have a distinct colour and shape, as may be determined by the Home Department from time to time; and the pass shall be displayed on wind screen of the vehicle:

Provided that if the pass is issued in respect of more than one sealed road, a consolidated pass may be issued on payment of fee as provided in sub-section (3), in such form, as may be specified by a notification.

8. Grant of temporary passes in certain circumstances.—(1) A temporary pass may be issued on such conditions as may be specified in the pass, in the public interest for a sealed road, to the official vehicles deployed for official function at a venue approachable only by sealed road and such venue is not approachable from a restricted road or any other road, as the case may be.

(2) A Temporary pass may also be issued to a public utility vehicle whose plying on such sealed roads is in the public interest, on such terms and conditions as may be specified in the pass.

(3) A temporary pass for a sealed road may be issued on payment of fee of Rs. 200 per day per vehicle for maximum period of seven days, on application made to the Under Secretary (Home) to the State Government or the Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, as the case may be, in such form as may be specified by notification, at least 2 days in advance with supporting documents, and the pass shall be issued in such form as may be specified by a notification issued from time to time, under the signatures and seal of an officer not below the rank of the Under Secretary (Home) to the State Government; and the said pass shall have a distinct colour and shape, as determined by the Home Department from time to time; and the same shall be displayed on the wind screen of the vehicle:

Provided that if the pass is issued for more than one sealed road, a consolidated pass shall be issued on payment of fee as provided in sub-section (3) of section 6 in such form as may be specified by notification.

(4) A temporary pass for a restricted road may be issued on payment of a fee of Rs.100 per day, for a maximum period of 7 days, on an application made to the Deputy Commissioner, Shimla in such form as may be specified by notification, with reasons in support thereof, subject to the condition that the plying of the vehicle is not likely to cause danger or annoyance to pedestrians; and the said pass shall have a distinct colour and shape, as determined by the Home Department from time to time and the same shall be displayed on the wind screen of the vehicle:

Provided that if the pass is issued for more than one restricted road, a consolidated pass shall be issued on payment of fee as provided in sub-section (3) in such form as may be specified by notification.

(5) Temporary passes for sealed and restricted roads for the purpose of shooting of films or for any commercial or entertainment purpose may be granted by the Secretary (Home) to the State Government for a maximum period of 7 days on payment of a fee of Rs.3000 per day per private vehicle upto a maximum of 10 vehicles:

Provided that in order to avoid danger or annoyance to pedestrians, conditions may be imposed while granting a pass, in relation to the hours of its validity and parking restrictions.

(6) The application for issue of temporary passes under this section may be made by an authorized officer of the concerned Department.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला–37–जुड/2016–6–4–2016––250.